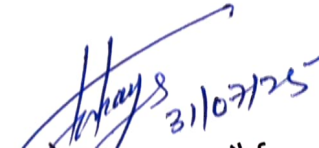


कार्यालय- मध्यस्थता केन्द्र, कानपुर नगर।

नोटिस

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर के तत्वावधान में जनपद कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश मध्यस्थता नियमावली 2021 के अनुसार मध्यस्थों का चयन किया जाना है उक्त नियमावली में विहित शर्तों के अनुसार ऐसे अधिवक्ता मध्यस्थ के रूप में चयनित किए जा सकते हैं जिनको कम से कम 10 वर्ष का विधिक व्यवसाय करने का अनुभव हो तथा ऐसे मध्यस्थों का चयन उपरोक्त नियमावली के नियमों के अधीन ही किया जाएगा जो अधिवक्ता उक्त नियमावली के अधीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की पात्रता रखता हो व इच्छुक हो तो इस पत्र के साथ संलग्न किए जा रहे प्रारूप पर अपना आवेदन कर सकता है तथा साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि वह अपने शैक्षणिक प्रपत्र अथवा अन्य योग्यता का प्रपत्र जो आवश्यक हो उसको भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके दिनांक 05.08.2025 की शाम 04.00 बजे तक सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर के कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं अथवा बार एसोसिएशन / दि लायर्स एसोसियेशन के माध्यम से उक्त तिथि व समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक-31.07.2025


(कमलेश कुमार मौर्य)

अपर जिला जज / सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

प्रभारी अधिकारी मध्यस्थता केन्द्र, कानपुर नगर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
प्राधिकरण, कानपुर नगर।

अनुसूची--एक
मध्यस्थता और सुलह केन्द्र
(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम
2. पिता का नाम
3. पता:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
(क) कार्यालय:
(ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
(केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वर्तित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ। यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा। मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।